का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का निहित है जिसमें से प्रत्येक खसरे में बाई मिटस एण्ड बाउण्ड वादीगण का अलग अलग घोषित किया जावे। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से यह वाद पेश किया गया है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जारी सम्मन तमिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने व प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र अमरी व बाबूनाथ के प्रस्तुत किये व नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 मौजा लूणसरा के खसरा नम्बर 1047 प्रदर्ष–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 मौजा लूणसरा के खसरा नम्बर 562, 822, 561, 784 प्रदर्ष–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 मौजा लूणसरा के खसरा नम्बर 287 प्रदर्ष–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2031–34 मौजा लूणसरा के खसरा नम्बर 561, 562, 823, 784, 287 प्रदर्ष–4 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2031–34 मौजा लूणसरा के खसरा नम्बर 1047 प्रदर्ष–5 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. मौजा लूणसरा के खेत खसरा नम्बर 562 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 822 रकबा 21.01 बीघा, खसरा नम्बर 1047 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नम्बर 784 रकबा 19.05 बीघा में से वादी संख्या 1 बाबूनाथ एवं वादी संख्या 2 अमरी के हक हिस्से कब्जा काश्त में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीनाथ के हक हिस्से कब्जा काश्त में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 क्रमशः जोरनाथ, माधूनाथ, जिमनाई एवं नैनी के हक हिस्से कब्जा काश्त में 1/3 हिस्सा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. मौजा लूणसरा के खेत खसरा नम्बर रकबा 2.18 बीघा में से वादी संख्या 1 बाबूनाथ एवं वादी संख्या 2 अमरी के हक हिस्से में 1/3 हिस्सा व शेंष भाग प्रतिवादी संख्या 6 राहुखां के हक हिस्से कब्जा काश्त में रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 4.10.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner